



**उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद**  
**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लखनऊ-10**  
**नीलगिरी काम्पलेक्स, प्रथम तल, इन्दिरा नगर लखनऊ।**  
**Email-edlucknow10@gmail.com**



IS 15700



पत्र सं०-

/ A C - ०८ / १३६

दिनांक-

**शुचि पत्र**

ई-टेप्डर पोर्टल पर अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा जनपद-सीतापुर के ग्राम पंचायत-अनोगी विकास खण्ड मछरेहटा में ग्रामीण स्टेडियम के निर्माण कार्य हेतु जारी ई-निविदा सूचना सं०-३८९/ए०सी०-८/१२५ दिनांक ०२.०४.२०२५ के NIT Document में टेप्डर नोटिस के स्थान पर त्रुटिवश Technical Bid Document अपलोड हो गयी है।

अतः ई-टेप्डर पोर्टल पर टेप्डर नोटिस अपलोड की जा रही है। निविदादाताओं से अनुरोध है कि कृपया Corringendum Document में टेप्डर नोटिस देखने का कष्ट करें।

ई-निविदा की नियम व शर्तें जारी निविदा सूचना सं०-३८९/ए०सी०-८/१२५ दिनांक ०२.०४.२०२५ के अनुसार ही रहेंगी।

(कमता प्रसाद)  
अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं०-५०१

/ उक्त / १३६

तददिनांक: ०१.०९.०५-२०२५

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- निदेशक, ग्लोबल कन्सट्रक्शन एण्ड कन्सलेन्सी सेल, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
- अधीक्षण अभियन्ता, लखनऊ वृत्त, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
- अधीक्षण अभियन्ता, वृन्दावन वृत्त/अवध विहार वृत्त, लखनऊ, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद।
- इन्वर्ज, कम्प्यूटर सेल, उ०आ० आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गांधी मार्ग लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त सूचना को परिषद की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लखनऊ-०१, ०२, ०३, ०४, ०५, ०६, ०७, ०८, ०९, ११, १२ एवं १३ उ०आ० आवास एवं विकास परिषद, आफिस काम्पलेक्स, वृन्दावन योजना एवं नीलगिरि कॉम्पलेक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
- सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड लखनऊ-१०, उ०आ० आवास एवं विकास परिषद, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
- लेखाकार/कैशियर, निर्माण खण्ड लखनऊ-१०, उ०आ० आवास एवं विकास परिषद, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
- नोटिस बोर्ड, निर्माण खण्ड लखनऊ-१०, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

अधिशासी अभियन्ता  
०१.०५.२०२५



# उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लखनऊ-10

नीलगिरी काम्पलेक्स, प्रथम तल, इन्दिरा नगर लखनऊ।

Email-cdlucknow10@gmail.com

भारतीय मानक बूर्जे IS 15700



पत्र सं- ३४९

/

AC-8

1125

दिनांक- ०२-०४-२०२५

## ई-निविदा सूचना

अद्योहस्ताक्षरकर्ता द्वारा परिषद की ओर से उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद में वांछित श्रेणी में पंजीकृत अनुभवी ठेकेदारों/फर्मों से ई-निविदा टू-बिड पद्धति के माध्यम से निम्नांकित विवरण के अनुसार आमन्त्रित की जाती है, जो उपरिथित निविदादाताओं या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में सम्बन्धित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लखनऊ-10, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, नीलगिरी काम्पलेक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ स्थित कार्यालय में निम्न विवरण के अनुसार खोली जायेगी। कार्यों की मात्राएं बी०ए०व्यू के अनुसार होगी, जो घट या बढ़ सकती है। ई-प्रक्योरमेंट सोल्यूशन द्वारा निविदाएं निम्नानुसार खोली जाएगी।

क्र० सं०	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (रु० लाख में)	धरोहर धनराशि (रु० लाख में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा प्रोसेसिंग शुल्क (रु में)	ठेकेदार की परिषद में वांछित पंजीकृत श्रेणी	निविदा पद्धति
1	2	3	4	5	6	7	8
1	जनपद-सीतापुर के ग्राम पंचायत-अनोगी विकास खण्ड मछरेहटा में ग्रामीण स्टेडियम का निर्माण कार्य।	685.91 लाख + (जी०ए०स०टी० अतिरिक्त)	13.72 लाख	18 माह	7500.00 + 18% GST	श्रेणी-I क	टू-बिड

1. निविदा शुल्क एवं धरोहर धनराशि NEFT/RTGS के माध्यम से निविदा में उल्लेखित बैंक खाते में ही जमा करायी जायेगी (विवरण निम्न प्रकार है), जो कि निर्धारित तिथि व समय तक डाली/अपलोड की जानी होगी।

खण्ड का नाम	बैंक का नाम	खाता संख्या	आई०ए०ए०स०सी० कोड
अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लखनऊ-10, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, नीलगिरी काम्पलेक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ।	Bank of India, Branch- Indira Nagar, Lucknow.	685210110002350	BKID0006852

### 2. महत्वपूर्ण तिथियाँ (टू-बिड)

क्र.स.	विवरण	दिनांक	समय
1	ई-निविदा प्रकाशन तिथि	03.04.2025	-
2	निविदा डाउनलोड/अपलोड/आर०टी०जी०ए०स० करने की प्रारम्भ तिथि	05.04.2025	अपराह्न 5.00 बजे से
3	धरोहर धनराशि की आर०टी०जी०ए०स० करने की अन्तिम तिथि	05.05.2025	अपराह्न 5.00 बजे तक
4	निविदा अपलोड करने की अन्तिम तिथि	06.05.2025	अपराह्न 5.00 बजे तक
5	प्रीवालिफिकेशन बिड खोले जाने की तिथि	07.05.2025	अपराह्न 11.30 बजे
6	वित्तीय बिड खोले जाने की तिथि	प्रीवालिफिकेशन बिड के परीक्षण के उपरान्त सूचित किया जाएगा।	

- निविदा खोले जाने की तिथि को अवकाश घोषित होने की स्थिति में, निविदायें अगले कार्य दिवस में खोली जायेगी।
- निविदा की वैधता, निविदा खुलने की तिथि से तीन माह की होगी, जिसके लिये निर्धारित प्रारूप में रु०-100/- का नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर रु०-१/- का रेवेन्यू स्टाम्प हस्ताक्षरित निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
- निविदादाता फर्म को आयकर विभाग/जी०ए०स०टी०/श्रम विभाग में पंजीकृत होना अनिवार्य होगा, जिसकी प्रमाणित प्रति निविदा के साथ संलग्न की जानी आवश्यक होगी।
- सशर्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
- सभी देयकों से आयकर, लेबर सेस एवं अन्य कर जो सरकार द्वारा लागू किया जाता है, की कटौती नियमानुसार की जायेगी। जी०ए०स०टी० का तत्समय प्रभावी शासनादेशों/परिषद आदेश के अन्तर्गत निर्धारित दरों के अनुसार एवं फर्म द्वारा जी०ए०स०टी० Invoice प्रस्तुत करने के उपरान्त भुगतान किया जायेगा।

१५/०४/२०२५

8. किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को अपरिहार्य कारणवश निरस्त करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता को सुरक्षित रहेगा।
9. समस्त कार्य उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद/उ०प्र० लोक निर्माण विभाग/उ०प्र० जल निगम की अद्यतन विशिष्टियों के अनुसार कराये जायेंगे।
10. कार्य की मात्रा किसी भी सीमा तक कम या अधिक हो सकती है, जिसके लिए ठेकेदार/फर्म का कोई वलेम मान्य नहीं होगा।
11. निविदा सूचना परिषद की वेबसाइट [www.upavp.com](http://www.upavp.com) एवं उ०प्र० इलैक्ट्रोनिक कॉर्पोरेशन की वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> पर देखी जा सकती है। निविदा प्रपत्र वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> से ही डाउनलोड होंगे। इच्छुक ठेकेदारों से अनुरोध है कि नियमित रूप से उक्त वेबसाइटों को देखते रहें, क्योंकि निविदाओं के सम्बन्ध में कोई बदलाव अथवा अतिरिक्त सूचना वेबसाइट पर ही उपलब्ध करायी जायेगी।
12. कार्यालय में निविदा डालने से पूर्व ठेकेदार/फर्म कार्यस्थल का निरीक्षण किसी भी कार्यदिवस में एवं निविदा प्रपत्रों का पूर्व अध्ययन अवश्य कर लें एवं कार्यस्थल का फोटोग्राफ भी निविदा के साथ संलग्न करें।
13. निविदादाता के निविदा स्वीकृत/अनुबन्ध गठित होने के उपरान्त यदि यह संज्ञान में आता है कि सम्बन्धित निविदादाता सक्रिय रूप से माफिया गतिविधियों, असामाजिक कार्यों एवं संगठित आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, तो उसे प्रदान किया गया अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा, जिसमें किसी भी क्षति की सम्पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता/ठेकेदार की होगी।
14. निविदा के साथ इस आशय का शपथ पत्र देना होगा कि विद्युत सम्बन्धी कार्यों का सम्पादन विद्युत सम्बन्धी कार्यों हेतु अधिकृत/लाइसेन्स प्राप्त फर्म तथा फायर फाइटिंग से सम्बन्धित कार्यों का सम्पादन फायर फाइटिंग कार्य हेतु अधिकृत/लाइसेन्स प्राप्त फर्म द्वारा कराया जायेगा।
15. फर्म द्वारा भवनों में दीमक रोधी उपचार का कार्य विशेषज्ञ फर्मों से, नई रीति संहिता IS-6313(पार्ट-2) 2013 में प्राविधानित विधि के अनुसार कराते हुए स्टाम्प ड्यूटी अधिनियम के अनुसार देय स्टाम्प पेपर पर 10 वर्ष की गारन्टी परिषद पक्ष में प्रस्तुत किया जाना होगा।
16. निविदा डालते समय इस बात का ध्यान रखना अपेक्षित है कि फायर की एन०ओ०सी०, विद्युत सुरक्षा की एन०ओ०सी० एवं पर्यावरण की एन०ओ०सी० की पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी।
17. उ०प्र० भवन एवं अन्य सम्प्रियां कर्मकार नियोजन तथा सेवा शर्त विनियम नियमावली वर्ष 2009 के विनियम 24 (2) के अन्तर्गत प्रत्येक निविदा के लिए एकल पंजीकरण कराना अनिवार्य है। अतः निविदा स्वीकृति/अनुबन्ध गठन के पश्चात एक सप्ताह के अंदर पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही देयक का भुगतान किया जायेगा तथा प्रत्येक देयक से नियमानुसार लेबर सेस की कटौती की जायेगी।
18. निविदादाता द्वारा दिये गये दस्तावेजों/प्रमाण पत्रों के गलत पाये जाने पर निविदादाता को अयोग्य समझा जायेगा। यदि फर्जी/गलत दस्तावेजों की जानकारी अनुबन्ध गठन के पश्चात होती है तो अनुबन्ध उसी समय निरस्त करते हुए दण्ड के रूप में धरोहर धनराशि जब्त करते हुए काली सूची में डाला जायेगा।
19. कार्य में प्रयुक्त सैम्पत्स की विभाग द्वारा किसी बाहरी ऐजेन्सी से चेकिंग/टेस्टिंग कराने पर होने वाले व्यय की कटौती ठेकेदार/फर्म के देयक से की जाएगी।
20. ई-टेन्डरिंग में प्रतिभाग हेतु वांछित अर्ह श्रेणी के परिषद में पंजीकृत निविदादाता ही पात्र होंगे। वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति निविदा प्रपत्रों के साथ अपलोड करना अनिवार्य है।
21. कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करना होगा। कार्य की मासिक प्रगति निर्धारित मासिक प्रगति चार्ट के अनुसार होनी चाहिये। प्रगति का आंकलन प्रत्येक माह के अन्त में किया जायेगा। विलम्ब की दशा में ठेकेदार को अगले माह के अन्त तक निर्धारित क्यूमुलेटिव प्रगति प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा अनुबन्ध निरस्तीकरण की कार्यवाही की जा सकती है, जिसके लिये ठेकेदार का कोई वलेम मान्य नहीं होगा।
22. निविदा की दर बी०आ०क्य० में अंकित दरों के सापेक्ष कम या अधिक (Below or Above) अंकित न होने पर दरें कम (Below) मानी जायेगी।
23. यदि ठेकेदार/फर्म ने स्थायी धरोहर धनराशि (जनरल सिक्योरिटी) जमा की है तो निविदा के साथ कुल वांछित धरोहर धनराशि व स्थायी धरोहर (जनरल सिक्योरिटी) के अन्तर की धनराशि निविदा के साथ देय होगी।
24. सम्बन्धित विभाग को कार्य हस्तगत कराने की जिम्मेदारी फर्म की होगी, जिसके उपरान्त ही अन्तिम भुगतान किया जायेगा एवं सिक्योरिटी की धनराशि प्रोजेक्ट कृपलीशन रिपोर्ट निर्गत होने के उपरान्त ही नियमानुसार अवमुक्त की जायेगी।
25. फर्म के बीजको कामुगतान शासन से धनराशि प्राप्त होने पर ही किया जायेगा।
26. कार्य की प्राथमिकता के अनुसार उ०प्र० शासन के समय—समय पर धन अवमुक्त होने के अनुसार भुगतान की कार्यवाही की जाएगी। फर्म/ठेकेदार द्वारा प्राथमिकता से भिन्न किये गये कार्य का भुगतान तत्समय नहीं किया जायेगा।
27. निविदादाताओं/फर्म के निविदा स्वीकृति की दशा में निविदा के साथ लगायी गयी धरोहर धनराशि 02 प्रतिशत को समायोजित करते हुए कार्य की कुल लागत का 08 प्रतिशत जमानत धनराशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से निर्गत एफ०डी०आर०/सी०डी०आर० के रूप में जो कि “अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लखनऊ-10” के पक्ष में बन्धक हो, 07 दिनों के अंदर जमा करनी होगी तथा निविदा स्वीकृति के उपरान्त 07 दिनों के अन्दर ठेकेदार को अनुबन्ध गठित कराना होगा अन्यथा की स्थिति में निविदा निरस्त करते हुए जमा धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

१५  
८२०५२०२५

28. अनुबन्ध गठन के समय प्रभावी नवीनतम शासनादेशानुसार स्टाम्प ड्यूटी देय होगी।
29. यदि निर्माण कार्य की जाँच में गुणवत्ता निम्न स्तर की पायी जाती है तो इसके लिए ठेकेदार/फर्म उत्तरदायी होगी, जिसकी वसूली नियमानुसार फर्म से की जायेगी।
30. निविदा अपलोड करते समय चरित्र प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र जो जिला मजिस्ट्रेट से निर्गत हो, जो वित्तीय निविदा खुलने के तिथि के पश्चात तक वैध हो, लगाना होगा।
31. निविदा/फर्म या वांछित कार्य के अन्तर्गत पिछले 07 वर्षों में भवन निर्माण के निम्नानुसार तीन कार्यों में से एक कार्य (क, ख, ग, में से कोई एक) को पूर्ण किये जाने का अनुभव प्रमाण पत्र संबंधित विभाग से प्राप्त कर संलग्न करना अनिवार्य है।
  - क. निविदा की लागत का कम से कम 80 प्रतिशत के समतुल्य का एक कार्य।
  - ख. निविदा की लागत का कम से कम 50 प्रतिशत के समतुल्य का दो कार्य।
  - ग. निविदा की लागत का कम से कम 40 प्रतिशत के समतुल्य का तीन कार्य।
32. शासनादेश सं 1345 / 86—2019 दिनांक 15.07.2019 के अनुसार ठेकेदार/फर्म को स्थल पर लाई गयी सामग्री का नियमानुसार रायल्टी का भुगतान कर वैध रखना (E-MM-11) प्रस्तुत करना होगा, जिसे प्रस्तुत न करने की दशा में नियमानुसार कटौती की जायेगी तथा आपूर्तिकर्ता से रायल्टी जमा किये जाने के प्रमाण स्वरूप ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करनी होगी। अन्य स्थानों से लायी गयी सामग्री का ISTP उपलब्ध करना होगा, अन्यथा शासनादेश के अनुसार नियमानुसार निर्धारित रायल्टी की कटौती ठेकेदार/फर्म के देयक से वसूली की जायेगी।
33. निर्माण करते समय आवश्यकतानुसार जनसामान्य के सुगम एवं सुरक्षित यातायात आवागमन हेतु साइन बोर्ड लगाना एवं यातायात डायर्जन हेतु अस्थायी व्यवस्था किया जाना आवश्यक होगा, जिस हेतु अलग से कोई भुगतान नहीं किया जायेगा।
34. कार्य सम्पादित कराये जाने के दौरान, वर्षा या अन्य दैवीय आपदा के कारण किसी प्रकार की हुई क्षति हेतु परिषद द्वारा कोई भुगतान नहीं किया जायेगा तथा ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा। कार्यस्थल पर किसी कारणवश, हुई क्षति या दुर्घटना हेतु ठेकेदार/फर्म स्वयं ही जिम्मेदार होगी। इस संबंध में परिषद द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति देय नहीं होगी। कार्यस्थल पर फर्म को कार्य तथा कार्यरत कार्मिकों हेतु सुरक्षा मानकों का पूर्णतया अनुपालन करना होगा।
35. ई-निविदा के साथ निविदादाता को प्री-क्वालीफिकेशन की शर्त/चैक लिस्ट के अनुसार वांछित प्रपत्र अपलोड करने अनिवार्य होंगे।
36. शासनादेश संख्या—622 / 231—12—2012—2/आडिट/08—टी0सी0 दिनांक 08.06.2012 के क्रम में निविदादाता द्वारा बिल ऑफ क्वार्टिटी के विरुद्ध डाले गये 10 प्रतिशत Below तक 0.50 प्रतिशत प्रति प्रतिशत तथा 10.00 प्रतिशत से अधिक below पर 1.00 प्रतिशत प्रति प्रतिशत अतिरिक्त सिक्योरिटी/परफॉर्मेन्स गारंटी एफ0डी0आर0 / सी0डी0आर0 / एन0एस0सी0 जो अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लखनऊ—10, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, नीलगिरी काम्प्लेक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ के पदनाम बन्धक एवं अनुबन्ध अवधि तक वैध हो, के रूप में निविदा की वित्तीय बिड खुलने की तिथि से अधिकतम 07 दिनों के अन्दर, न्यूनतम निविदादाता को खण्ड कार्यालय में जमा करनी अनिवार्य होगी, अन्यथा की स्थिति में न्यूनतम निविदादाता के पक्ष में स्वीकृति पर विचार नहीं किया जायेगा। उक्त परफॉर्मेन्स गारंटी कार्य के पूर्ण होने के उपरान्त नियमानुसार वापस जायेगी।
37. कार्यस्थल पर कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु शासन / एन0जी0टी0 द्वारा समय—समय पर जारी दिशा—निर्देशों का अनुपालन करना होगा, जिसके अन्तर्गत आवश्यक व्यवस्थाएं फर्म को अपने व्यय पर स्वयं करनी होगी।
38. निविदा बी0ओ0क्यू0 के किसी आइटम में विवरण यदि अपूर्ण / त्रुटिपूर्ण है, तो उस आइटम का विवरण UPPWD SOR/DSR के सम्बन्धित आइटम का विवरण ही मान्य होगा।

भवदीय  
 (कामता प्रसाद)  
 अधिशासी अभियन्ता

पृष्ठ— ३४९ / उक्त 1/125  
 प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित।

तददिनांक: 02-04-2025

1. निदेशक, ग्लोबल कन्सट्रक्शन एण्ड कन्सलेन्सी सेल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
2. अधीक्षण अभियन्ता, लखनऊ वृत्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को उनसे हुए विचार विमर्श के क्रम में।
3. अधीक्षण अभियन्ता, वृन्दावन/अवधि विहार, लखनऊ, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
4. इन्वार्ज, कम्प्यूटर सेल, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गांधी मार्ग लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त सूचना को परिषद की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
5. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड लखनऊ—01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12 एवं 13 उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, आफिस काम्प्लेक्स, वृन्दावन योजना एवं नीलगिरि कॉम्प्लेक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
6. सहायक अभियन्ता, निर्माण खण्ड लखनऊ—10, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
7. लेखाकार/कैशियर, निर्माण खण्ड लखनऊ—10, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, इन्दिरा नगर, लखनऊ।
8. नोटिस बोर्ड, निर्माण खण्ड लखनऊ—10, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

अधिशासी अभियन्ता

ग. अ. अ.